

[2008]3 एस.सी.आर. 83

के.वी. रामी रेड्डी

बनाम

प्रेमा

दीवानी अपीलिय संख्या: 2551/2001

20 फरवरी 2008

डाॅ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 -- आदेश XX आर. 1 और 3 और एस. 2(9) -
दिए गए फैसले की वैधता - विचारण न्यायाधीश द्वारा निर्णय पूरा नहीं करने से पहले
प्रकरण के दावे पर निर्णय सुनाया जाना उच्च न्यायालय ने यह कथन करते हुए खारिज
कर दिया कि यह कानून की नजर में कोई निर्णय नहीं है। वारंट में कोई हस्तक्षेप नहीं -
एक न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित की घोषणा कि उसका 'निर्णय' क्या होने वाला है,
या अपने निष्कर्ष की घोषणा की, कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, तब तक कोई
निर्णय नहीं है जब तक कि उसने अपने निष्कर्ष को औपचारिक रूप नहीं दिया हो और
खुले न्यायालय में अपने मन की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में इसको सुनाया जावे -
निर्णय/आदेश

शब्द और वाक्यांश - निर्णय - का अर्थ - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के
संदर्भ में।

विशिष्ट अनुतोष के लिए प्रतिवादी के द्वारा मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी के अनुसार, 24.3.1999 को, आशुलिपिक को निर्णय लिखवाये बिना, उसे प्रतिलेखित और हस्ताक्षरित किए बिना, केवल निर्णय सूची में इस बाबत पृष्ठांकन किया गया कि वादी उक्त वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध संविदा की विनिर्दिष्ट पालना प्राप्त करने का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था और केवल ऑपरेटिव भाग के द्वारा दिनांक 25.03.1999 को मध्याह्न के समय सुनाया गया था। प्रतिवादी के द्वारा निर्णय सुनाते समय सिविल जज द्वारा की गई अनियमितताओं को उठाते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की। प्रार्थी/अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि सम्पूर्ण निर्णय विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया था और प्रतिलेखित भाग में महत्वपूर्ण विवाद्यक में 1 से 3 को शामिल किया गया था और आशुलिपिक चौथे विवाद्यक और अतिरिक्त विवाद्यक का आधा भाग तय हो चुका था और इसलिए यह अभिनिर्धारित करते हुए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि सभी विवाद्यक आशुलिपिक को न्यायाधीश द्वारा लिखाये गये थे और जिस दिनांक 24.03.1999 को फैसला सुनाया गया था, उस दिन फैसला पूर्ण होना माना जाना चाहिए। जबकि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह माना कि विचारण न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाने से पहले निर्णय पूरा नहीं किया था। दिनांक 24.03.1999 के निर्णय को अपास्त कर दिया गया और प्रकरण को पुनः बहस सुनकर नये सिरे से आदेश पारित करने के लिए सिविल न्यायाधीश के पास लौटा दिया गया। इस संदर्भ में वर्तमान अपील की गयी है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि

1.1 क्या हस्तगत प्रकरण में निर्णय वैध तरीके से सुनाया गया है? यदि यह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता है और संबंधित न्यायाधीश ने निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने मात्र से इस प्रकार दिया गया निर्णय अमान्य नहीं किया जा सकता। आदेश XX नियम 1 सीपीसी में कहा गया है कि मामले की सुनवाई के बाद, सुनवाई करने वाली अदालत खुली अदालत में आशुलिपिक को लिखाया जाकर निर्णय सुनाएगी, जहाँ न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा एेसा करने हेतु अधिकृत किया हो, इसमें वह तिथि अंकित होती है, जिस दिन इसका उच्चारण किया जाता है। निर्णय में निर्णय जाने की दिनांक लिखी जाती है, निर्णय पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात उसकी दिनांक नहीं बदली जाती। केवल विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्णय का अधिकतर भाग लिखाये जाने के आधार पर यहाँ यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि निर्णय सुनाया जा चुका था।

1.2 एक न्यायाधीश द्वारा अपने निष्कर्ष की घोषणा कि उसका 'निर्णय' क्या होने वाला है, या उसके निष्कर्ष की घोषणा कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, तब तक कोई निर्णय नहीं है, जब तक एेसे निष्कर्ष को औपचारिक रूप नहीं दे दिया गया हो और खुले न्यायालय में अपने मन की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में इसका उच्चारण करे।

1.3 सीपीसी की धारा 2(9) एक "निर्णय" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ "निर्णय" से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेरित है। सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रकरण में मौखिक निर्णय करने के पश्चात निर्णय लिखाये जाने का प्रावधान नहीं है और इसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए और केवल

साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा कि न्यायालय का 'निर्णय' क्या था, अंतिम परिणाम मौखिक रूप से घोषित किया गया था, लेकिन 'निर्णय' जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है, जिसमें मामले का संक्षिप्त विवरण, निर्धारण के बिंदु, उस पर निर्णय और एैसे निर्णय के कारणों को बाद में अंतिम रूप दिया जावे।

1.4 निर्विवाद रूप से, विचारण न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाने से पहले निर्णय पूरा नहीं किया था। जिससे आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित है। उच्च न्यायालय के द्वारा पक्षकारान को पुनः सुने जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने का निर्देश दिया है, अपील को खारिज किया जाकर प्रकरण को नए सिर से पुनः बहस सुनकर आदेश पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

श्रीमती स्वर्ण लता घोष बनाम. हरेन्द्र कुमार बनर्जी एवं अन्य. (एआईआर 1969 एससी 1167), बलराज तनेजा और अन्य बनाम सुनील मदान और अन्य. (1999(8) एससीसी 396) - संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2551/2021

सी.आर.पी. क्रमांक 1909/1999. में मद्रास उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 29/2/2000 से।

अपीलकर्ता की ओर से वी. बालाचंद्रन।

प्रतिवादी की ओर से वी. रामसुब्रमण्यन।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया।

निर्णय डा. अरिजीत पसायत, जे.

1. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।
2. उक्त अपील मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध की गई है, जिसमें मुकदमा नंबर 5841/1996 के निर्णय को सुनाते समय विद्वान सहायक सिविल न्यायाधीश क्रम-07, चेन्नई द्वारा की गई अनियमितताओं को उजागर करने वाली सिविल पुनरीक्षण याचिका को अनुमति प्रदान की गई थी। अतः उक्त विवाद के संबंध में विस्तृत विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान अपील का दायरा बहुत ही संकीर्ण मुद्दे के संबंध में है।
3. प्रतिवादी द्वारा विनिर्दिष्ट पालना का दावा दिनांक 20.10.1988 को किये गये विक्रय इकरारनामों की पालना हेतु दायर किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 24.03.1999 को किया गया है। उक्त प्रकरण के वर्तमान प्रतिवादी जो दीवानी पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता है, के अनुसार आशुलिपिक को निर्णय निर्देशित, अभिलिखित किए बिना, उसे प्रतिलेखित और हस्ताक्षरित किए बिना, केवल निर्णय सूची में पृष्ठांकन करते हुए अभिनिर्धारित किया कि वादी उक्त वाद में विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं बल्कि इकरारनामे की दी हुई राशि 2,00,000/-रूपये वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। पुनरीक्षण याचिका में यह माना गया कि कानूनी की नजर में कोई निर्णय नहीं था। केवल ऑपरेटिव भाग 25.03.1999 को मध्यानपूर्व के समय सुनाया गया था, इसलिए 24.03.1999 को दिया गया निर्णय कानूनी की नजर में अविधिपूर्ण व अमान्य था। दीवानी पुनरीक्षण याचिका में

प्रतिवादी की र से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि चार विवाद्यक और एक अतिरिक्त विवाद्यक बनाये थे। सम्पूर्ण निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया था और प्रतिलेखित भाग में महत्वपूर्ण विवाधकों में 1 से 3 को शामिल किया गया था और आशुलिपिक चौथे विवाद्यक और अतिरिक्त विवाद्यक का भी आधा भाग तय हो चुका था। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि सभी विवाद्यक आशुलिपिक को न्यायाधीश द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 24.03.1999 को निर्णय सुनाया गया था, उस दिन निर्णय पूर्ण होना माना जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रकरण के अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों को सारहीन माना। यह माना गया कि चूंकि विद्वान विचारणीय न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाने से पहले निर्णय पूरा नहीं किया था, इसलिए यह माना गया कि कानूनी की नजर में कोई फैसला नहीं था। तदनुसार, दीवानी पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई और दिनांक 24.03.1999 के फैसले को अपास्त कर दिया गया और मामला सहायक महानगर सिविल न्यायाधीश क्रम 7, चेन्नई काे प्रकरण में पुनः बहस सुनी जाकर नये सिरे से आदेश पारित किये जाने के निर्देश के साथ वापस लौटाया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विद्वान महानगर सिविल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') के आदेश XX, नियम-5 कानून की पृष्ठभूमि में अनुज्ञेय है।

5. दूसरी र, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारणीय

न्यायाधीश ने आदेश XX, नियम 5, सीपीसी की पृष्ठभूमि के अनुसार नहीं है व उसके विपरीत आदेश XX, नियम-1 और 3 के प्रावधान प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों पर लागू होते हैं।

6. सीपीसी (मद्रास संशोधन) के आदेश XX, नियम-1 (1) इस प्रकार है:

(1) न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरन्त या भविष्यवर्ती दिन जिसकी सम्यक सूचना पक्षकारों या उस प्लीडरों को दी जाकर सुनाएगा।

(2) निर्णय खुले न्यायालय से आशुलिपिक को बोलकर लिखाते हुए केवल तभी सुनाया जा सकेगा जब न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है।

इसी प्रकार, आदेश XX, नियम 3 इस प्रकार है:

"निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा और जब उस पर एक बार हस्ताक्षर कर दिया गया है तब धारा 152 द्वारा उपबन्धित के सिवाय या पुनर्विलोकन के सिवाय उसके पश्चात उसमें न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा और न कोई परिवर्धन किया जाएगा।"

7. आदेश XX, नियम 5 जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहुत जोर दिया था, कहता है कि जिन मुकदमों में विवाद्यक तय किए गए हैं, अदालत प्रत्येक अलग विवाद्यक अपने निष्कर्ष या निर्णय को कारण सहित बताएगी, जब तक कि किसी

एक या अधिक विवाद्यक का निष्कर्ष मुकदमें के निर्णय हेतु पर्याप्त है।

8. जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है, उक्त तर्क विचारण न्यायाधीश द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया था।

9. अंतिम प्रश्न यह है कि क्या मौजूदा मामले में निर्णय वैध तरीके से सुनाया गया है? यदि यह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता है और संबंधित न्यायाधीश ने निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने मात्र के आधार पर दिया गया निर्णय अमान्य नहीं किया जा सकता। आदेश XX नियम 1 सीपीसी में कहा गया है कि मामले की सुनवाई के बाद, सुनवाई करने वाली अदालत खुली अदालत में आशुलिपिक को लिखाया जाकर निर्णय सुनाएगी, जहां भी इसकी अनुमति हो। इसमें वह तिथि अंकित होती है, जिस दिन निर्णय सुनाया जाता है। निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पश्चात निर्णय की तारीख में परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल इस आधार पर कि निर्णय का बड़ा हिस्सा विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रतिलेखित किया जा चुकने के आधार पर अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि निर्णय सुनाया जा चुका है।

10. श्रीमती स्वर्ण लता घोष बनाम. हरेन्द्र कुमार बनर्जी एवं अन्य. (एआईआर 1969 एससी 1167), में इस प्रकार उल्लेखित किया गया है (पैरा 6 पर)-

"न्यायालय में किसी दीवानी प्रकृति के विवाद की सुनवाई का उद्देश्य, विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार, विवाद में मामले के प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच एक न्यायिक निर्धारण करना है। विवाद में हितबद्ध पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता

है। विधि के साथ पक्षकारान द्वारा दिए गए सबूतों के माध्यम से तथ्यों का पता लगाना और विवादित तथ्यों पर निष्कर्ष दिया जाकर विवाद के संबंध में तर्कसंगत निर्णय लेना और पाए गए तथ्यों पर कानून का लागू होना न्यायिक परीक्षण का आवश्यक गुण है। एक न्यायिक परीक्षण में, न्यायाधीश को न केवल उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए जिसे वह उचित मानता है, बल्कि, जब तक कि अन्यथा अनुमति न दी जाए, न्यायालय के अभ्यास या कानून द्वारा, उसे विवाद से निकलने वाले अंतिम निष्कर्ष को निर्धारित करना होगा। इसके समाधान के लिए। किसी विवादित दावे का न्यायिक निर्धारण जहां विधि या तथ्य के महत्वपूर्ण पक्ष उठते हैं, संतोषजनक ढंग से किया जाता है, केवल तभी जब इसे सबसे ठोस कारणों से समर्थित किया जाता है जो स्वयं न्यायाधीश को सुझाते हैं, विवाद के मामले में कारणों से समर्थित न होकर निर्णय लेने वाला मात्र आदेश कोई निर्णय नहीं है। किसी विवादित दावे के निर्णय के समर्थन में कारणों को दर्ज करने से एक से अधिक उद्देश्य पूरे होते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवादित मामले में निर्णय सनक या कल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि न्यायिक दृष्टिकोण का परिणाम है, इसका उद्देश्य कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मामले का निर्णय सुनिश्चित करना भी है। विवाद का एक पक्ष आम तौर पर

उन आधारों को जानने का हकदार है जिन पर अदालत ने उसके खिलाफ फैसला किया है और इससे भी अधिक जब निर्णय अपील के अधीन हो, तब अपीलीय न्यायालय के पास पर्याप्त सामग्री होगी, जिसके आधार पर वह यह निर्धारित कर सकती है कि क्या तथ्यों का ठीक से पता लगाया गया है, कानूनी सही ढंग से लागू किया गया है और परिणामी निर्णय उचित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में कोई समर्थित कारण का उल्लेख नहीं किया है और उच्च न्यायालय ने अपील में केवल यह उल्लेख किया कि उन्हें लगा कि वादी ने संयंत्र में मामले को पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है।"

11. एक न्यायाधीश द्वारा अपने निष्कर्ष की घोषणा कि उसका 'निर्णय' क्या होने वाला है, या उसके निष्कर्ष की घोषणा कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, तब तक कोई निर्णय नहीं है जब तक कि उसने अपने निष्कर्ष को औपचारिक रूप नहीं दिया हो और खुले न्यायालय में अपने मन की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में इसका उच्चारण करे।

12. सिविल प्रक्रिया संहिता मौखिक निर्णय द्वारा मामले का निर्णय सुनाने के पश्चात निर्णय लिखने की परिकल्पना नहीं करता है और इसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए और केवल साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा कि न्यायालय का 'निर्णय' क्या था, कहां था अंतिम परिणाम मौखिक रूप से घोषित किया गया था, लेकिन 'निर्णय' जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में परिभाषित

किया गया है, जिसमें मामले का संक्षिप्त विवरण, निर्धारण के बिंदु, उस पर निर्णय और एेसे निर्णय के कारणों को बाद में अंतिम रूप दिया जावे।

13. सीपीसी की धारा 2(9) एक "निर्णय" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ "निर्णय" से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेरित है,

14. बलराज तनेजा और अन्य बनाम सुनील मदान और अन्य. (1999(8) एससीसी 396), में इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार उल्लेखित था:

"डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखे गए "निर्णय" में एक और कमी है जो कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित "निर्णय" से संबंधित है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(9) में परिभाषित "निर्णय" का अर्थ न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों के बारे में दिया गया अभिकथन है। एक निर्णय में क्या शामिल होना चाहिए यह आदेश 20 नियम 4(2) में दर्शाया गया है, जिसके अनुसार विनिश्चय में "मामले का संक्षिप्त विवरण, निर्धारण के बिंदु, उस पर विनिश्चय और एेसे विनिश्चय के कारण शामिल होंगे"। यह एक स्व-निहित दस्तावेज होना चाहिए जिससे यह पता चले कि मामले के तथ्य क्या थे और वह कौन सा विवाद था जिसे न्यायालय ने और किस तरीके से निपटाने की कोशिश की थी। तर्क की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा और प्रकरण का निर्णय सुनाया, निर्णय में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होना चाहिए।"

15. निर्विवाद रूप से, विचारण न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाने से पहले निर्णय पूरा नहीं किया था। जिससे आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप अनुचित नहीं है। उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है वह पक्षकारान को पुनः सुने जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किया जाना है। अपील को खारिज करते हुए, निर्देश देते हैं कि नए सिर से पुनः बहस सुनकर आदेश पारित किया जाये और विचारणीय न्यायालय अपना फैसला यथाशीघ्र, अधिमानतः आज से तीन महीने के भीतर सुनाएगा। अनावश्यक देरी से बचने के लिए, उभयपक्षकारान दिनांक 05.03.2008 को विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, ताकि बहस की तारीख तय की जा सके।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुनेश चन्द यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।